(3)

''राज्य लोक सेवा अभिकरण में विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमे पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व''

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) (iii) के अंतर्गत)

राज्य लोक सेवा अभिकरण की साधारण सभा में सर्वोच्च अधिकार निहित है। माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश साधारण सभा के अध्यक्ष है। संस्थान के उद्देश्य एवं लक्ष्यों के अनुरूप कार्यों का प्रबंधन कार्यकारी परिषद द्वारा किया जायेगा। कार्यकारी परिषद द्वारा ऐसी सभी गतिविधियों का संचालन किया जायेगा, जो कि अभिकरण के कार्यकरण हेतु आवश्यक है।

राज्य लोक सेवा अभिकरण की साधारण सभा एवं कार्यकारी परिषद को प्राप्त शक्तियों का विवरण संस्थान के विनियम में दिया गया है। संस्थान के दिन प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंधन कार्यपालक संचालक के साथ संचालक (प्रशासन), उप संचालक (वित्त), प्रबंधक (प्रशासन) तथा अन्य अधिकारियों व सहायक कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा ।